संसदीय कार्य मंत्रालय

पिछले एक वर्ष के दौरान किया गया मंत्रालय का महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियां

(2019-2021)

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी

कैबिनेट मंत्री
श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी

राज्य मंत्री
श्री अर्जुन राम मेघवाल

राज्य मंत्री
श्री वी. मुरलीधरन

संसदीय कार्य मंत्रालय

****

क: संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का संक्षित विवरण

1 विधायी कार्य

2 अन्य विधायी सूचना

3 संसदीय प्रक्रिया एवं पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम

4 संसद सदस्यों के विदेश दौरे

5 संसद सदस्यों का कल्याण

6 संसद में विभिन्न दलों/समूहों के नेताओं के साथ संपर्क

7 आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)

8 अनुसंधान संबंधी गतिविधियां

9 युवा संसद

10 कोविड-19 संबंधी कार्रवाई

11 परामर्शदात्री समितियां

12 राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

13 स्वच्छ भारत मिशन के तहत गतिविधियां

2019-2021 के दौरान मंत्रालय द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियां

संसद में सरकार की ओर से विविध सरकारी कार्य दक्षतापूर्वक संभालने का काम संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा गया है। इस प्रकार, यह मंत्रालय संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियों और कार्यों के साथ एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

1. मंत्रालय का राजनीतिक नेतृत्व

मंत्रालय को इस बात का फायदा है कि एक कैबिनेट मंत्री और दो राज्य मंत्रियों द्वारा (30.05.2019 से) इसका मार्गदर्शन किया जा रहा है जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में सभी कार्य किए गए हैं:

श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी (30.05.2020 से)

<u>संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री</u>

लोक सभा	राज्य सभा
श्री अर्जुन राम मेघवाल (30.05.2020 से)	श्री वी. मुरलीधरन (30.05.2020 से)

2. विधायी कार्य

(क) प्रतिवेदित अवधि के दौरान निम्न प्रकार संसद के 3 सत्र आयोजित किए गए:

सत्र	लोक सभा	राज्य सभा
पहला/249वां पहला सत्र	17.06.2019 से 06.08.2019	20.06.2019 से 07.08.2019
दूसरा/250वां शीतकालीन सत्र	18.11.2019 से 13.12.2019	18.11.2019 से 13.12.2019
तीसरा/251वां बजट सत्र	31.01.2020 से 23.03.2020	31.01.2020 से 23.03.2020

(ख) इस अवधि के दौरान निष्पादित विधायी कार्य की सत्रवार सूचना निम्न प्रकार है:

सत्र	लोक सभा में पुरःस्थापित विधेयकों की संख्या	राज्य सभा में पुरःस्थापित विधेयकों की संख्या	लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों की संख्या	राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों की संख्या	दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की संख्या	लोक सभा में वापस लिए गए विधेयकों की संख्या	राज्य सभा में वापस लिए गए विधेयकों की संख्या
2019							
पहला/249वां पहला सत्र	33	07	35	32	30	-	-
दूसरा/250वां शीतकालीन सत्र	18	-	14	15	15	-	04

2020							
तीसरा/251वां बजट सत्र	18	01	15	13	12	-	02
कुल	69	08	64	60	57*	-	06

*संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ग) प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों द्वारा 14वीं, 15वीं और 16वीं लोक सभा की समान अवधि के दौरान पारित किए गए विधेयकों से क्रमश: लगभग 23%, 30% और 18% अधिक विधेयक पारित किए गए।

(घ) अंतरिम बजट सत्र, 2019 (16वीं लोक सभा का अंतिम सत्र) के पश्चात, 20 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए थे। इनमें से इस अवधि के दौरान 14 अध्यादेशों को संसद के अधिनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इन अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयकों पर दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की सूची में सितारे का निशान लगाया गया है।

(ड.) राज्य सभा में स्पष्ट बहुमत न होने के बावजूद बेहतर सदन प्रबंधन द्वारा सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण विधान पारित कराए गए।

(च) 17वीं लोक सभा का पहला सत्र ऐतिहासिक था क्योंकि इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयक पारित किए गए जो नई लोक सभा के गठन के पश्चात अकेले पहले सत्र में एक रिकार्ड है।

(छ) पहले सत्र के दौरान निष्पादित किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 और उसके तहत राष्ट्रपति के आदेशों के कुछ उपबंधों का निराकरण करना। यह जम्मू और कश्मीर में विशेषकर भारत के संविधान के उपबंधों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की अनुप्रयोज्यता के प्रत्यावर्तन के साथ समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार कानून और निष्पक्षता का शासन सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद की रोकथाम करने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य का दो संघ राज्य क्षेत्रों – जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के सृजन के साथ पुनर्गठन किया गया है।

(ज) दूसरे सत्र के दौरान, संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के लिए 26 नवंबर, 2019 को एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था।

(झ) 17वीं लोक सभा के पहले वर्ष के दौरान आयोजित सत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों से संबंधित विधेयक पारित किए गए। इस अवधि के दौरान पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधानों का क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

(i) स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार:

इस अवधि के दौरान, इस क्षेत्र से संबंधित चार महत्वपूर्ण विधेयक अर्थात राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019 और दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019 दोनों सदनों द्वारा पारित कए गए।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो आयुर्विज्ञान शिक्षा, आयुर्विज्ञान प्रोफेसन से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन हेतु एक राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग और आयुर्विज्ञान संस्थानों एवं आयोग को सलाह देने और सिफारिश करने के लिए एक आयुर्विज्ञान सलाहकार परिषद के गठन का उपबंध करता है।

(ii) सामाजिक और लैंगिक न्याय सुधार

इस अवधि के दौरान, भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए।

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 जो तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत को अमान्य घोषित करता है, मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019 एक उभयलिंगी व्यक्ति को परिभाषित करता है और उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करता है।

इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019 निकोटीन की अत्यधिक नशे की लत की प्रकृति पर विचार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और ऐसी ही अन्य चीजों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का निषेध करता है। यह विधान सतत विकास के लक्ष्यों, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय निगरानी ढांचे और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी सफल होगा।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदु, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता के पात्र बनाता है और उन्हें भारत में एक गरिमापूर्ण जीवन का हकदार बनाता है।

(iii) राष्ट्रीय/आंतरिक सुरक्षा

इस क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा दृष्टि और मानवाधिकारों के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए **राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019**, **विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2019** और **मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019** को पारित किया गया।

आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019 कानून के उल्लंघन की प्रभावी रोकथाम करने के अलावा आग्नेयास्त्रों से संबंधित या उनका प्रयोग करके किए गए अपराधों को प्रभावी रूप से रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था।

(iv) श्रम सुधार

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को आमेलित करने के पश्चात **मजदूरी संहिता विधेयक, 2019** के पारण के माध्यम से श्रम कानूनों के अनुपालन को आसान बनाने के लिए और उसके माध्यम से सभी कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी के दायरे को बढ़ाते हुए और उद्यमों को समान प्रोत्साहन और उनकी स्थापना की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में और ऐसा करके रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी करते हुए एक बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार अधिनियमित किया गया।

(v) परिवहन क्षेत्र संबंधी सुधार

इस क्षेत्र से संबंधित अधिनियमित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधान हैं (i) **मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2019** अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए अर्थदंड और जुर्माने को बढ़ाने और मुसीबत में मदद करने वालों के संरक्षण का उपबंध करने के अलावा सड़क सुरक्षा, नागरिक सुविधा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, स्वचालन और कम्प्यूटरीकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए; (ii) **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019** प्रमुख विमानपत्तनों, जिनमें प्रतिवर्ष 3.5 मिलियन से अधिक यात्री आते हों, की परिभाषा में संशोधन के अलावा विमानपत्तनों पर अवसंरचना परियोजनाओं में निजी भागीदारों को शामिल करने के लिए टैरिफ आधारित बोली प्रणाली को अपनाने का अधिकार देने के लिए।

(vi) प्रशासनिक क्षेत्र संबंधी सुधार

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में कुछ अप्राधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति अधिकारों को मान्यता देने के उद्देश्य से सरकार ने निवासियों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता का समाधान करने के लिए **राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति मान्यता) विधेयक, 2019** अधिनियमित किया था।

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019 उपबंध करता है कि एस.पी.जी. अब प्रधानमंत्री और उनके सरकारी आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों को सुरक्षा उपलब्ध कराएगी। यह किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री को भी उनको आबंटित आवास पर उनके साथ रह रहे उनके परिवार के सगे सदस्यों सहित उनके द्वारा प्रधानमंत्री के पद को छोड़े जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक सुरक्षा उपलब्ध

संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अगले और दस वर्षों अर्थात 25 जनवरी, 2030 तक सीटों के आरक्षण को जारी रखकर संविधान के संस्थापकों द्वारा कल्पना किए गए रूप में समावेशी चरित्र को बनाए रखने के लिए।

(vii) आर्थिक क्षेत्र/कारोबार करने में सुविधा संबंधी उपाय

इस अवधि के दौरान, देश में आर्थिक भावना का समाधान करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण विधान पारित किए गए।

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा, विकास को बढ़ावा देगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, पुंजी बाजार में स्थिरता लाएगा और पुंजी बाजार में धन के अंतर्वाह में बढ़ोतरी करेगा।

चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019 चिटफंड क्षेत्र के क्रमिक विकास को सुगम बनाएगा और उसके माध्यम से अन्य वित्तीय उत्पादों तक लोगों की बृहतर वित्तीय पहुंच को आसान बनाएगा।

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019 पूर्व कानून को निरस्त करके और उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का उपबंध करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र को पुनर्जीवित करने; अनुचित व्यापार प्रथाओं से उत्पन्न होने वाले उपभोक्ता नुकसान की रोकथाम करने के लिए और वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों के कठोर परिवर्तन से निपटने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में "मध्यस्थता" के लिए अतिरिक्त प्रावधान के अलावा उत्पादों के प्रत्याहार, प्रतिदाय और वापसी का प्रवर्तन करने सहित वर्गीय कार्रवाई शुरू करने के लिए।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय सेवाओं के लिए एक बाजार विनियमित और विकसित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना करेगा।

नई दिल्ली माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019, **माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019** और **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019** वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और गैर-निष्पादक आस्ति प्रबंधन प्रणाली को क्रमशः बढ़ावा देने और मजबूत करने का उपबंध करते हैं और इस प्रकार कारोबार करने में आसानी और निवेशकों के बीच विश्वास बहाली को आसान बनाने के लिए आगे बढ़ाया गया एक बड़ा कदम हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019 मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा में "न्यास अथवा संस्था" को शामिल करने की मांग करता है ताकि उन उद्यमियों की सीमा में विस्तार किया जा सके जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित कर सकते हैं।

अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019 व्यवसाय के सामान्य क्रम में ली गई जमा राशियों के अलावा अन्य अविनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए व्यापक तंत्र उपलब्ध कराता है।

खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 कोयला, लिग्नाइट और परमाणु खनिजों के अलावा अन्य खनिजों के मामले में एक नए पट्टेदार को दो साल की अवधि के लिए सभी वैध अधिकार, अनुमोदन, मंजूरी, लाइसेंस आदि के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने का उपबंध करता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020 का प्रयोजन, यदि कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया या परिसमापन में जाती है, दिवाला को रोकने के लिए कॉर्पोरेट देनदारों को लास्ट माइल फंडिंग के पुनर्भुगतान में सर्वोच्च प्राथमिकता देना, वित्तीय लेनदारों के कुछ वर्गों द्वारा संहिता के संभावित दुरुपयोग का निवारण करना, कॉरपोरेट देनदार के खिलाफ मुकदमा चलाने और कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए कॉरपोरेट देनदार और सफल समाधान आवेदक की संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई के विरूद्ध प्रतिरक्षा उपलब्ध कराना और कॉरपोरेट दिवाला ढांचे में महत्वपूर्ण रिक्त स्थान को भरना है।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020 न केवल सरकार के लिए समय पर राजस्व पैदा करके लंबित कर विवादों के समाधान का प्रस्ताव करता है बल्कि इस तरह के विवाद समाधान का विकल्प चुनकर करदाता भी बचाए गए समय, ऊर्जा और संसाधनों का अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में उपयोग करने में सक्षम होंगे।

(viii) शिक्षा सुधार

इस अवधि के दौरान भारत में शिक्षा सुधारों को और मजबूत करने के लिए भी कुछ विधेयक पारित किए गए।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 का उद्देश्य संस्कृत के तीन मानद विश्वविद्यालयों अर्थात राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति को संस्कृत और शास्त्री शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयों में अपग्रेड करना है। इससे बेहतर संकाय मिलने, विदेशी छात्रों,

संस्कृत के विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विदेशी संकाय को आकर्षित करने और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग में मदद मिलेगी।

3. संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न संसदीय विषयों का सिंहावलोकन और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संसदीय कार्य से जुड़े अधिकारियों को एक मंच प्रदान करना है।

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 17 जुलाई, 2019 को सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

[सहायक सचिवों (2017 बैच के नए आई.ए.एस. अधिकारी) के लिए संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर अभिविन्यास पाठ्यक्रम]

अणुशक्ति भवन, मुंबई में दिनांक 04.08.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के लाभार्थ संसदीय प्रक्रिया और पद्धति पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

[04.08.2019 को परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के अधिकारियों/कर्मचारियों के आयोजित अभिविन्यास कार्यशाला]

4. लोक सभा में नियम 377 के तहत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। इन मामलों को सामान्यत: प्रश्नों और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों के निपटान के पश्चात उठाया जाता है।

17वीं लोक सभा की अब तक की अवधि के दौरान लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत 1302 मामले और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से 373 मामले उठाए जा चुके हैं। इनमें से लोक सभा में कुल 413 मामले और राज्य सभा में 103 मामले निपटाए जा चुके हैं।

5. शून्यकाल के दौरान उठाए गए मामले

'शून्यकाल' के दौरान, दोनों सदनों में सदस्य, पीठासीन अधिकारियों की अनुमति से, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों को उठाते हैं। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा में 1929 मामले उठाए गए जो सभी लोक सभाओं के समकक्ष वर्षों की तुलना में अधिकतम हैं और राज्य सभा में 788 मामले उठाए गए।

6. संसद सदस्यों के विदेश दौरे

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, दोनों सदनों के विभिन्न सदस्यों ने इस मंत्रालय को अपने निजी/अध्ययन संबंधी विदेश दौरों के बारे में सूचित किया था। मांग किए जाने पर उन्हें विदेश मंत्रालय और विदेशों में हमारे मिशनों के माध्यम से अपेक्षित सहायता प्रदान की गई।

विदेश दौरों के लिए राज्य सरकारों को अनुमति/अनापत्ति

मंत्रिमंडल सचिवालय के दिशा-निर्देशों (का.ज्ञा. सं.21/1/7/94-मंत्रिमंडल दिनांक 30.03.1995) के अनुसार, राज्य सरकारों के लिए सरकारी विदेशी दौरों के लिए विषय-वस्तु से संबंधित केंद्रीय प्रशासनिक मंत्रालय से

अनुमति लेना अपेक्षित है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विदेश दौरा करने वाले सरकार द्वारा प्रायोजित शिष्टमंडलों के संबंध में राज्य सरकारों के गण्यमान्य व्यक्तियों को अनुमति/अनापत्ति जारी की।

7. संसद सदस्यों का कल्याण

ईलाज के लिए अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्यों की आवश्यकताओं की देख-रेख करने के उद्देश्य से, दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों के साथ अस्वस्थ संसद सदस्यों की दिन-प्रतिदिन की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी टेलीफोन संदेश द्वारा प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस मंत्रालय के अधिकारी सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने तथा सदस्य द्वारा मांगी गई अन्य कोई सहायता प्रदान करने के लिए अस्पताल का दौरा करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री/राज्य मंत्री एवं उच्च अधिकारी भी शिष्टाचार के नाते अस्पताल में भर्ती अस्वस्थ संसद सदस्य के स्वास्थ्य के बारे में, जब-जब अपेक्षित हो, जानकारी लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय अपनी वेबसाइट http://www.mpa.nic.in पर दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती बीमार संसद सदस्यों की द्विभाषी जानकारी दैनिक आधार पर उपलब्ध कराता है।

8. संसद में विभिन्न दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ संपर्क

संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों और ग्रुपो के नेताओं और सचेतकों के साथ संपर्क करना भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत इस मंत्रालय को आबंटित प्रमुख कार्यों में से एक है। यह मंत्रालय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों/ग्रुपों के नेताओं में सर्वसम्मति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और अन्य केन्द्रीय मंत्रियों द्वारा बुलाई गई बैठकों के लिए आवश्यक व्यवस्था/समन्वय करता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, संसद के सत्रों के सुचारू संचालन के विषय पर ऐसी 03 बैठकें बुलाई गई।

9. आश्वासन (लोक सभा और राज्य सभा)

आश्वासन अनुभाग लोक सभा और राज्य सभा के वाद-विवाद में से आश्वासनों को निकालते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजते हैं। मंत्रालयों द्वारा लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में उनके मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों को कार्यान्वयन प्रतिवेदन कहे जाने वाले एक विवरण के रूप में कार्यान्वित करना अपेक्षित है। इन प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखने से पहले मंत्रालय-वार और सत्र-वार सारणीबद्ध किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि के दौरान, लोक सभा के वाद-विवादों में से कुल 796 आश्वासन निकाले गए और कुल 499 कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखा गया। इसी प्रकार, इस अवधि के दौरान, राज्य सभा के वाद-विवाद में से कुल 707 आश्वासन निकाले गए और कुल 474 कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को सदन के पटल पर रखा गया।

ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओ.ए.एम.एस.)

आश्वासनों को पूरा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से, मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओ.ए.एम.एस. साफ्टवेयर) विकसित की गई है। इस प्रणाली का उद्देश्य संसद के सदनों में दिए जाने वाले आश्वासनों को पूर्णत: डिजिटल और कागज-रहित बनाना है।

10. अनुसंधान संबंधी गतिविधियां

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका

भारत सरकार में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका का अद्यतनीकरण किया गया और इसे जुलाई, 2019 के दौरान जारी किया गया। संशोधित नियम पुस्तिका में विभिन्न परिवर्तन शामिल किए गए हैं जो संसदीय प्रक्रिया और पद्धति, विधायी प्रक्रियाओं, अनुदान मांगों की जांच करने में संसद की विभागीय संसदीय समितियों की भूमिका, विधेयकों, मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों, सदनों में पेश किए जाने वाले दीर्घकालिक नीतिगत दस्तावेजों में आए हैं। डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सरकारी आश्वासनों के संबंध में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली (ओ.ए.एम.एस.) की शुरूआत की है और इसे संशोधित नियम पुस्तिका में उचित रूप से शामिल किया गया है। मंत्रालयों/विभागों द्वारा नियम बनाने के संबंध में विधायी विभाग के साथ परामर्श प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और उन्हें भी नियम पुस्तिका में शामिल किया गया है।

यह नियम पुस्तिका भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए अत्यंत उपयोगी है और संसदीय कार्य और प्रक्रियाओं को समझने में मार्गदर्शक पुस्तिका के रूप सहायता करती है।

संसदीय कार्य मंत्रालय की सांख्यिकीय पुस्तिका

यह संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विभिन्न उपयोगी संसदीय आंकड़ों का एक वार्षिक संकलन है और इसमें पुर:स्थापित, पारित विधेयकों, सदनों की बैठकों, बजट, सदनों द्वारा निष्पादित अन्य कार्य, परामर्शदात्री समितियों इत्यादि से संबंधित विस्तृत सूचना शामिल है। सांख्यिकीय पुस्तिका सरकारी कर्मचारियों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और उन सभी के लिए एक उपयोगी दस्तावेज है जिन्हें संसदीय गतिविधियों के अध्ययन में रूचि है। सांख्यिकीय पुस्तिका को अगस्त, 2019 में संशोधित किया गया था।

संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका

संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यचालन संबंधी पुस्तिका, जो मंत्रालय के अधिकारियों को अपना कार्य करने में मदद करती है, इस मंत्रालय का 2004 में प्रथम बार प्रकाशित एक और प्रकाशन है, जिसे सितंबर, 2019 में अद्यतित किया गया था।

उपरोक्त सभी तीनों प्रकाशन इस मंत्रालय की वेबसाइट (https://mpa.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

11. युवा संसद (ऑफलाइन)

युवा संसद प्रतियोगिता की इस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही चार योजनाएं हैं:

1. दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता
2. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
3. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता
4. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता

प्रतिवेदित अवधि के दौरान, कुल 271 विद्यालयों/कॉलेजों और कुल 14200 विद्यार्थियों ने उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया।

क्र.सं.	योजना	उपलब्धियां
1	दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 53वें संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 54वें संस्करण के अभिविन्यास पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को सफलता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 55वें संस्करण की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई।
2	केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 31वें संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 32वें संस्करण के अभिविन्यास पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को सफलता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 33वें संस्करण की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई।
3	जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 22वें संस्करण का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 23वें संस्करण के अभिविन्यास पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को सफलता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 24वें संस्करण की रूपरेखा तय करने के लिए बैठक भी आयोजित की गई।
4	विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता	प्रतियोगिता के 15वें संस्करण के राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन और और प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। प्रतियोगिता के 16वें संस्करण का अभिविन्यास पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया।

सभी प्रतिभागियों के लाभार्थ राज्य सभा टीवी की मदद से युवा संसद पर एक वीडियो टुटोरिअल (प्रशिक्षण सामग्री) भी तैयार किया गया।

युवा संसद (ऑनलाइन)

मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के दायरे को अब तक अनछुए वर्गों और देश के कौने-कौने तक विस्तारित करने के लिए एन.आई.सी. की तकनीकी सहायता से युवा संसद का वेब पोर्टल विकसित किया गया था। पोर्टल का शुभारंभ 26 नवंबर, 2019 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की गरिमामय उपस्थिति में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

योजना में दो शाखाओं की कल्पना की गई है:- कक्षा IX से कक्षा XII के विद्यार्थियों के लिए किशोर सभा और स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए तरूण सभा। संस्थाओं का पंजीकरण 31 जुलाई, 2020 तक चालू है और वे 1 अगस्त से 30 नवंबर, 2020 की अवधि के दौरान यंवा संसदों का आयोजन कर सकेंगे। अभी तक देशभर के विभिन्न विद्यालयों से 4370 (किशोर सभा 3912 + तरूण सभा 458) पंजीकरण प्राप्त हुए हैं और इनमें से मंत्रालय द्वारा 1260 (किशोर सभा 1307 + तरूण सभा 70) पंजीकरण अनुमोदित किए जा चुके हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

उपरोक्त योजनाओं के अलावा, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने-अपने क्षेत्रों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। इस संबंध में 16वीं लोक सभा के दौरान निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्रदान की गई वित्तीय सहायता
1	2019-20	हरियाणा	रू.3 लाख

12. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में संशोधन

मंत्रिमंडल ने 06.04.2020 को आयोजित अपनी बैठक में कोरोना विषाणु (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए संसद सदस्यों के वेतन को 01.04.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए 30% तक कम करने के संसदीय कार्य मंत्रालय के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था। परिणामस्वरूप, कोरोना विषाणु (कोविड-19) महामारी से उत्पन्न आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए संसद सदस्यों के वेतन को 01.04.2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए 30% तक कम करने के लिए 07.04.2020 को एक अध्यादेश अर्थात संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्या 3) प्रख्यापित किया गया था।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों संबंधी संयुक्त समिति ने 5 और 6 अप्रैल, 2020 को आयोजित अपनी बैठकों में, (i) 01.04.2020 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ते में प्रतिमाह 30% कटौती और (ii) 01.04.2020 से प्रभावी एक वर्ष की अवधि के लिए कार्यालय व्यय भत्ते में प्रतिमाह 30% कटौती (केवल लेखन सामग्री घटक से, कर्मचारी वेतन के घटक में से नहीं) की सिफारिश की थी। मंत्रालय ने अपनी सहमति प्रदान की और तत्पश्चात 7 अप्रैल, 2020 को लोक/राज्य सभा सचिवालयों द्वारा इस संबंध में निम्नलिखित अधिसूचनाएं जारी की गई:-

(i) एक सदस्य 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए प्रतिमाह उनचास हजार रूपये की दर से निर्वाचन क्षेत्र संबंधी भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(ii) एक सदस्य 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के लिए प्रतिमाह चौवन हजार रूपये की दर से कार्यालय व्यय भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें से –

(क) चौदह हजार रूपये लेखन सामग्री और डाक संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए होंगे; और
(ख) लोक सभा अथवा राज्य सभा सचिवालय सदस्य द्वारा सचिवालयिक सहायता प्राप्त करने के लिए नियोजित किए गए व्यक्ति (व्यक्तियों) को चालीस हजार रूपये का भुगतान करेगा और ऐसा एक व्यक्ति सदस्य द्वारा विधिवत प्रमाणित कंप्यूटर साक्षर होगा।

13. परामर्शदात्री समितियां

मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों का गठन करता है तथा सत्रावधि और अंत:सत्रावधि के दौरान उनकी बैठकें आयोजित करने संबंधी व्यवस्था करता है। 17वीं लोक सभा के गठन के पश्चात विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां गठित की गई। विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की 26 बैठकें आयोजित की गई हैं।

11. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)

नेवा विधानमंडलों का डिजटलीकरण करने और उनके कामकाज को कागज-रहित बनाने के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। नेवा एक सदस्य केंद्रित एप्लिकेशन है जो उन्हें उनके हस्तधारित उपकरणों/टैबलेट्स में उनके द्वारा अपेक्षित समस्त सूचना उपलब्ध कराकर सदन के विविध कार्य को संभालने के लिए और विधानमंडलों/विभागों की सभी शाखाओं को इस पर कुशलता से कार्य करने के लिए सशक्त बनाती है। नेवा उपकरण अज्ञेयवादी ऐप है जो डेस्क्टॉप, लैपटॉप, आईपैड और स्मार्ट फोन पर चलती है। यह एप्लिकेशन सभी विधानमंडलों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए तैयार है। यह एप्लिकेशन संपर्क विवरण, प्रक्रिया नियमों, कार्यसूची, तारांकित/अतारांकित प्रश्नों और उत्तरों, पुर:स्थापन, विचारण और पारण के लिए विधेयकों के पाठ, पटल पर रखे गए सभी दस्तावेजों के पाठ, समिति प्रतिवेदनों, सदन की कार्यवाहियों, कार्यवाहियों के सारांश, अनंतिम कैलेंडर, मंत्रालयों के रोटेशन, समाचार और प्रेस विज्ञप्तियों तथा संदर्भ सामग्री के अलावा नोटिसों, सभी सदस्यों और अन्य हितधारकों के सूचनार्थ समय-समय पर विधानमंडलों द्वारा जारी किए जा रहे समाचारों जैसी सभी संगत सूचना उपलब्ध कराती है।

नेवा समिति की बैठकों, उनकी कार्यसूची सहित सभी समितियों की संरचना से संबंधित सूचना, सदस्यों के व्यक्तिगत दावों जैसे कि वेतन और भत्तों इत्यादि से संबंधित सूचना भी उपलब्ध कराती है। इस एप्लिकेशन पर लाइव वेबकास्टिंग/टीवी सुविधा भी उपलब्ध है। लोक सभा/राज्य सभा टीवी, दूरदर्शन का सीधा प्रसारण राज्य विधानमंडलों के संबंध में समान सुविधा के साथ पहले ही सक्षम किया जा चुका गया है। नेवा विधानमंडलों के कामकाज को नागरिकों के करीब लाकर लोकतंत्र को उनके करीब लाएगी। विधेयकों, प्रश्न-उत्तरों, सदन के पटल पर रखे गए दस्तावेजों तक नागरिकों को आसान पहुंच प्रदान करके, नेवा नागरिकों को लोकतंत्र के साथ सार्थक अनुबंध का अवसर प्रदान करता है और ऐसा करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है।

➢ परियोजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदन दिया जा चुका है।

➢ नेवा की सार्वजनिक वेबाइट और मोबाइल एप्लिकेशन दोनों विकसित की जा चुकी हैं और यह प्लेटफार्म राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में शुरू किए जाने के लिए तैयार है।

➢ राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा इस अवधि के दौरान निम्नलिखित कार्यशालाएं/वीडियो कॉनफ्रेंस संचालित की गई:-
  - चरण-I की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - 6
  - चरण-II की संख्या (3 दिवसीय कार्यशाला) - 12
  - चरण-III की संख्या (2 दिवसीय कार्यशाला) - 2
  - वीडियो कॉनफ्रेंसों की संख्या - 2

[25-26 नवंबर, 2019 को तमिलनाडु विधानसभा, चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा के लिए आयोजित चरण-I की अभिविन्यास कार्यशाला]

[सीपीएमयू नेवा, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 22-24 अप्रैल, 2019 को आयोजित चरण-II की कार्यशाला में भाग लेने वाले मणिपुर विधानसभा के प्रतिभागियों का समूह फोटोग्राफ]

- बिहार विधान परिषद जुलाई, 2019 में मानसून सत्र के दौरान ऑनलाइन प्रश्न स्वीकार करने वाला देश का पहला सदन बन चुका है।
- विधानमंडलों के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अरूणाचल प्रदेश विधानसभा और बिहार विधान परिषद में भी संचालित किए गए हैं।
- संसदीय कार्य मंत्रालय पंजाब विधानसभा, बिहार विधानसभा, मेघालय विधानसभा और ओडिशा विधानसभा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर चुका है।
- अन्य राज्यों के विधानमंडलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं और परियोजना का कार्यान्वयन शुरू किया जा चुका है।

15. स्वच्छ भारत मिशन के तहत गतिविधियां

महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर, 11 सितंबर, 2019 से 2 अक्तूबर, 2019 तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया गया। मंत्रालय द्वारा अपने परिसर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कई गतिविधियों को अंजाम दिया गया और पानी की प्लास्टिक बोतलों पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया गया। मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रमदान में सहयोग किया।

*****

अनुबंध

17वीं लोक सभा के पहले एक वर्ष के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1.	*** विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2019**
2.	*** जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019**
3.	*** होम्योपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019**
4.	*** केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक, 2019**
5.	*** भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) विधेयक, 2019**
6.	दंत चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, 2019
7.	*** आधार और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2019**
8.	केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2019
9.	राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (संशोधन) विधेयक, 2019
10.	*** नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र विधेयक, 2019**
11.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
12.	वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2019
13.	मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
14.	सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019
15.	*** अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी विधेयक, 2019**
16.	*** मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक, 2019**
17.	*** कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019**
18.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019
19.	माध्यस्थम और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2019
20.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019
21.	विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2019
22.	मजदूरी संहिता, 2019
23.	निरसन और संशोधन विधेयक, 2019
24.	भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2019
25.	मोटरयान (संशोधन) विधेयक, 2019
26.	राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक, 2019
27.	उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
28.	सार्वजनिक स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2019
29.	जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
30.	सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2019
31.	जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक (संशोधन) विधेयक, 2019
32.	उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2019
33.	चिटफंड (संशोधन) विधेयक, 2019
34.	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019
35.	*** इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध विधेयक, 2019**
36.	विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019
37.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का आमेलन) विधेयक, 2019
38.	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति मान्यता) विधेयक, 2019
39.	*** कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2019**
40.	पोतों का पुनर्चक्रण विधेयक, 2019
41.	आयुध (संशोधन) विधेयक, 2019

42.	नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019
43.	संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019
44.	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019
45.	विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2019
46.	संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020
47.	*** खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020**
48.	*** दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020**
49.	प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020
50.	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020
51.	विनियोग विधेयक, 2020
52.	विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020
53.	जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020
54.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020
55.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020
56.	जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020
57.	वित्त विधेयक, 2020

*** अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक।**